

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(बिहार राज्य नागरिक परिषद्)

संख्या- ना0 प0-52/2008 - 70

पटना, दिनांक 20.04.2012

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

अवर सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(बिहार राज्य नागरिक परिषद्)
बिहार, पटना

विषय:- मांग सं0-04 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-106 सिविल रक्षा-0003- बिहार राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् विपत्र कोड N-2070001060003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के विषय शीर्ष 3104 सहायक अनुदान वेतन एवं 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा में उपबंधित राशि रूपये 2,24,55,000/- (दो करोड़ चौबीस लाख पचपन हजार रू0) मात्र आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-ब- 17/बी. एस.जी.51/2012-422/वि0 दिनांक 31.03.2012 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2012-13 में मांग सं0 -04 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-106-सिविल रक्षा-0003 बिहार राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् विपत्र कोड एन-2070001060003 के अन्तर्गत आय-व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में विषय शीर्ष 3104 सहायक अनुदान वेतन एवं 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में उपबंधित राशि से रूपये 2,24,55,000/- (दो करोड़ चौबीस लाख पचपन हजार रू0) मात्र में राशि का आवंटन निम्नरूपेण किया जाता है।

| क्रमांक | विषय शीर्ष | आय व्ययक अनुमान 2012-13 | आवंटित राशि | इस वर्ष के अब तक का कुल आवंटन |
|---------|------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3104 सहायक अनुदान वेतन | 83,97,000/- | 83,97,000/- | 83,97,000/- |
| 2 | 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा | 1,40,58,000/- | 1,40,58,000/- | 1,40,58,000/- |
| | योग | 2,24,55,000/- | 2,24,55,000/- | 2,24,55,000/- |

2. आवंटित राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-106-सिविल रक्षा-0003- बिहार राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपबंधित राशि में से विकलनीय होगा। इसका विपत्र कोड सं0- N-2070001060003 है।

3. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0(2) दिनांक 17.04.98 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। निकासी व व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटनादेश संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करना होगा। जिसके आधार पर संबंधित विपत्रों की निकासी की जायेगी।

4. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा न ही आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किया जायेगा।
5. इसमें सदस्य सचिव, बिहार राज्य नागरिक परिषद्-सह-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह/-

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह/-

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार सिचाई-भवन, पटना को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह/-

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह/-

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 710 478 - 70

पटना, दिनांक 20-04-2012

प्रतिलिपि- लेखा शाखा में (दोहरी प्रतियों)/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (बिहार राज्य नागरिक परिषद्) बिहार पटना को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह/-

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि - संयुक्त सचिव कोषांग/ आई0 टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

